


188  
25

पत्रावली पेश। प्राणी व वकील प्राणी को  
बार - बार आवाज लगाई गई। बार - बार  
आवाज लगाने के पश्चात भी प्राणी  
व वकील प्राणी न्यायालय में हाजिर  
वहीं आये। अतः प्राणी का प्रार्थना  
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTI अधिनियम  
हाजरी अधिनियम पैरवी में खारिज किया जाता  
है पत्रावली फ़ैसल नुमांर होकर नम्बर  
से कम होकर दाखिल कर रहे हैं।

  
उपखण्ड अधिकारी  
द्वारा मगद